किसी भी शासन की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक होता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इन चीजों की ओर अवश्य ध्यान देगी।

माननीय वित्त मंत्री को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शराब पर टैक्स लगाया है। उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन मैं उनसे यह अवश्य चाहूंगा कि पोस्टकार्ड पर कीमत उन्हें नहीं बढ़ानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वह पुनः इस पर विचार करेंगे और पोस्टकार्ड की कीमत केवल 5 पैसे कर देने की कृपा करेंगे।

DR. MELKOTE (Hyderabad) : I congratulate the hon. Finance Minister for the excellent budget which he has presented before the House and for having created confidence in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his speech tomorrow.

18.29 Hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 111 RE-STUDY OF HINDI IN SCHOOLS IN MADRAS

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : In reply to a Starred Question No. 111 by Sarvashri K. N. Pandey, Rabi Ray, Kanwarlal Gupta, R. S. Vidyarthi, Ram Gopal Shalwala, N. S. Sharma, Jugal Mondal, C. K. Bhattacharyya, Mohsin and Deo Rao Patil, answered in this Sabha on 16th February, 1968, my colleague Shri Bhagwat Jha Azad had stated that no official intimation regarding the Resolution on three-language formula passed by the Madras Legislative Assembly had been received in the Government of India. It has later been found that a copy of such a Resolution had been received. The matter is under consideration of the Government. I regret the inconvenience to the Honourable House.

Sir, I give my sincere apologies for the incorrect reply given to the question earlier.

18.30 Hrs.

*STUDY OF HINDI IN SCHOOLS IN MADRAS

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा प्रश्न 16 फरवरी को यहां पर मद्रास में जो अनिवार्य हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी उसके विषय में पूछा गया था, और उसका जो उत्तर दिया गया था वह वस्तुतः बहुत ही असन्तोषजनक था। अब उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है, इससे थोड़ी-सी शान्ति प्राप्त हुई है। वास्तव में यह घोषणा इस प्रकार की थी जिसने सारे देश में एक खलबली मचा दी थी, और केन्द्र का अनुशासन और नियन्त्रण कितना शिथिल है कि उस की भावना के विपरीत एक प्रान्त ने अपना सर उठा कर इस प्रकार की घोषणा कर दी है, यह प्रश्न उसकी प्रतिक्रिया थी।

स्वराज्य आन्दोलन के समय में ही राज्य भाषा का यह प्रश्न लगभग निर्णीत हो चुका था और उस समय पर महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी, और उस समय पर प्रसिद्ध नेता, जो आज भी संसार में हैं, श्री राजगोपालाचार्य ने अपने भाषण में इस सभा की स्थापना के समय हिन्दी का नाम स्वराज्य भाषा रखने का प्रस्ताव किया था और कहा था कि यही एक भाषा है जिसके आधार पर हम अपने स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा स्थापित हुई थी उसने वहां पर हिन्दी प्रचार में बहुत ही उपयोगी कार्य किया, जिसकी थोड़ी सी जानकारी मैं इस सभा को देना चाहता हूं, और वह इस प्रकार से है :

इस सभा द्वारा परिचालित परीक्षाओं में गत पांच वर्षों में 32 हजार से लेकर 35 हजार तक छात्र सम्मिलित होते रहे हैं। सन् 1967 में 25,509 छात्र, मद्रास शहर के अतिरिक्त, इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए, और अकेले मद्रास शहर से 7,273 छात्र इस की परीक्षा में सम्मिलित हुए। और इसमें भी यह बात उल्लेखनीय है कि महिलाओं की संख्या इन

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों में 60 प्रतिशत थी। इस प्रकार से धीरे-धीरे मद्रास के अन्दर इस राज्यभाषा का प्रचार होता चला जा रहा था और शनैः-शनैः यह आशा थी कि आगे चल कर के जो गतिरोध सा प्रतीत होता है वह दूर हो जायेगा।

जिस समय संविधान सभा में राज्य भाषा का प्रश्न आया उस समय पर सर्वसम्मति से राज्य भाषा का गौरवमय पद हिन्दी को दिया गया, और इस प्रकार से, जैसा मैं ने अभी उल्लेख किया, अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी यह भाषा धीरे-धीरे प्रगति कर रही थी। लेकिन आगे चल कर के इसका विरोध हुआ, और उस विरोध का सबसे पहला कारण यह था कि भूल से हमारे कर्णधारों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारम्भ किया। उसके आधार पर लोगों का विशाल दृष्टिकोण संकुचित हो गया, वह अपने-अपने छोटे दायरों में सोचने लगे और इस प्रकार से एक विरोध की भावना उत्पन्न हुई, तथा उस समय पर प्रान्तीय भाषाओं का प्रश्न प्रमुख रूप से आया। यद्यपि राज्य भाषा हिन्दी के साथ प्रान्तीय भाषाओं का विरोध नहीं है, वह तो एक ही क्षेत्र की है, समान क्षेत्र की है, लेकिन वह इस प्रकार का था कि उसके मन में एक कड़ुवाहट की भावना थी, एक विद्वेष की भावना थी।

दूसरी बात यह है कि सरकार प्रारंभ से ही हिन्दी के राज भाषा होने के प्रश्न पर उपेक्षा की दृष्टि से चलती रही और शिथिलता से चलती रही। लगता अब भी वही है। कहा तो यह जाता है कि हम धीरे-धीरे प्रगति करेंगे, लेकिन वह धीरे का समय कब आयेगा? लगता है कि लेटे हुए पड़े हैं, कोई आन्दोलन उठता है तो थोड़ी-सी आंख खुल जाती है और उसके बाद करवट बदल कर फिर लेट जाते हैं। इस प्रकार से धीरे-धीरे प्रगति कभी नहीं होगी। इस लिये राज्य भाषा के प्रश्न को केन्द्रीय सरकार ने ही बड़ी शिथिलता और उपेक्षा की दृष्टि से देखा। इस लिये भी इसका विरोध आगे चल कर बढ़ा।

इसके अतिरिक्त तीसरी बात जिस कारण से इस राज्य भाषा का विरोध हुआ वह थी केन्द्रीय नौकरियां। केन्द्र में सर्विस देने के समय पर जिस प्रकार से पहले गौरवमय स्थान अंग्रेजी को प्राप्त था उस समय के बाद भी जहां पर राज्य भाषा की जानकारी के लिये भी थोड़ा-सा ध्यान दिया जाना चाहिये था, वह नहीं दिया गया। इस लिये भी इसका विरोध हुआ, और विरोध इतना उग्र हो गया कि सन् 1963 में आ कर के ही राज्य भाषा विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनुभव हुई और भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने दक्षिण के लोगों को कुछ आश्वासन दिये। उन आश्वासनों की व्याख्या इस समय तक बड़ी गलत की जा रही है। नेहरू जी ने जो आश्वासन दिया था वह यह था कि जब तक दक्षिण के लोग या अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लोग हिन्दी से परिचित नहीं होते तब तक अंग्रेजी बराबर चलती रहेगी और धीरे-धीरे जब वह उसको ग्रहण कर लेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो उस समय पर वह सब प्रकार से राज्य भाषा के पद पर आसीन हो जायेगी। आश्वासन का अभिप्राय यह कभी नहीं था कि उन्हें छूट दे दी गई कि वह हिन्दी न पढ़ें। अब कहा यह जा रहा है कि नेहरूजी ने जो आश्वासन दिये थे उनका सरकार पालन नहीं करती, यद्यपि यह काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा था और उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, और लोग ऐसा कहते भी थे। लेकिन दक्षिण के लोगों ने ही यह जोर डाला कि नेहरू जी ने जो आश्वासन दिये थे उन्हें क्रियान्विति का रूप दिया जाये। इस लिये पहले राज्य भाषा विधेयक और उसके बाद राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक आया। यद्यपि उसके पीछे बात यह थी कि दक्षिण के लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे, यहां के लोगों को इस तरह का सन्तोष था ही नहीं। हुआ परिणाम यह कि वह सन्तोष नहीं हुआ जिसको मुहावरे की भाषा में कहा जाये तो गुनाह बेलज्जत हो गया। न उधर सन्तोष हुआ और न ही इधर सन्तोष हुआ। हुआ यह कि जिस समय राज्य भाषा

संशोधन विधेयक पास हुआ, उस समय तक तो शान्ति थी और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दक्षिण में नहीं थी, लेकिन जब यहां से श्री कामराज मद्रास में गये, और वहां पर वक्तव्य दिया तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप वहां पर झगड़े हुए, और इस समय भी वही स्थिति है। राज्य भाषा संशोधन विधेयक पास होने के बाद भी अब की बार कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक से जा कर उन्होंने वहां जो भाषण दिया, उसके कारण से भी बावेला शुरू हो गया। इस लिये मेरा यह आरोप है कि दक्षिण में जो भी गड़बड़ हुई है उसके मुख्य स्रोत श्री कामराज रहे हैं और दूसरे नम्बर पर श्री सुब्रह्मण्यम् रहे हैं। उसी के आधार पर आगे चल कर 23 जनवरी को जो संकल्प वहां की असेम्बली में पास हुआ उसमें वहां पर जो अनिवार्य हिन्दी शिक्षा होती थी वह समाप्त कर दी गई।

अब मैं जानना चाहता हूं कि नेहरूजी के साथ वहां पर विश्वासघात किया गया या यहां पर किया गया? नेहरूजी का आश्वासन तो यह था कि वह धीरे-धीरे हिन्दी सीखें, और जब उनको जानकारी प्राप्त हो जाय तो फिर उसके बाद अंग्रेजी का प्रचलन समाप्त कर दिया जाये। लेकिन हुआ यह कि जो आधार था जानकारी का वही समाप्त कर दिया गया। वहां के 2400 स्कूलों में जो हिन्दी के विद्यार्थी थे उनके लिये लगभग 5000 अध्यापक थे जो कि शिक्षा देते थे। लेकिन एक दिन के लिये भी उनको इतना सब्र और सन्तोष नहीं हुआ। यहां तो यह कहा जाता है कि धीरे-धीरे होना चाहिये, लेकिन वहां पर एक साथ विस्फोट कर दिया गया और 23 जनवरी को यह संकल्प पास हुआ तथा 25 जनवरी को आदेश दे दिया गया कि हिन्दी शिक्षा समाप्त की जाती है। यहीं तक नहीं, एन० सी० सी० और ए० सी० सी० में जो हिन्दी में आदेश दिये जाते थे उनके लिये भी आज्ञा दे दी गई कि वह हिन्दी में नहीं होंगे। इसके मामले में भी केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं, उससे कोई विचार विनिमय नहीं किया गया, और वहां पर उस ट्रेनिंग को ही समाप्त कर दिया गया। एक तरफ हमारे सामने सुरक्षा की समस्यायें हैं और दूसरी तरफ इस घृणा और विद्वेष की भावना के आधार पर एक प्रान्त में इस तरह का कदम उठाया जाता है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत ही क्रान्तिकारी फार्मूला देश के सामने रक्खा, जिसकी चारों तरफ बड़ी सराहना हुई, और वह था त्रिभाषा फार्मूला। इस त्रिभाषा फार्मूला को राष्ट्रीय एकता परिषद् का समर्थन प्राप्त हुआ, सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड का समर्थन प्राप्त हुआ, मुख्य मंत्री सम्मेलन द्वारा उसका समर्थन हुआ, लेकिन हुआ यह कि एक राज्य ने मनमाने ढंग से वहां सारी की सारी बात समाप्त कर दी। उन्होंने दो भाषायें पढ़ाये जाने की घोषणा की है और उसको प्रचलित कर दिया है। घृणा और विद्वेष की भावना वहां पैदा कर दी गई है। यह यहां तक पैदा कर दी गई है कि एंग्लो इंडियन स्कूलों के विषय में जब उन से पूछा गया कि अगर और कोई अहिन्दी भाषी वहां हिन्दी भी पढ़ना चाहे तो पढ़े या न पढ़े तो इसके जवाब में कहा गया कि हिन्दी न पढ़े, चाहे लैटिन ही क्यों न पढ़े, लेकिन हिन्दी न पढ़े। इससे ज्यादा शोकजनक बात और क्या हो सकती है। अगर यही बात दूसरे प्रान्तों वाले करें तो हमारे देश का क्या बनेगा?

अन्त में मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र में और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की चाहे सरकारें हों लेकिन राष्ट्रीय महत्व के निर्णयों पर उनमें आपस में तालमेल होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्रतिदिन तोड़फोड़ की घटनायें घटती रहें।

जहां पर इस प्रकार की तोड़फोड़ की घटनायें हों, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो, राष्ट्रीय गीत का अपमान हो, उसको एक राष्ट्र-द्रोह का कार्य समझा जाना चाहिये और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : Sir, is it not a fact that the whole controversy has arisen after

[Shri V. Krishnamoorthi]

the amendments to the Official Language Bill as well as to the Resolution after the Bill as well as the Resolution was introduced in the Lok Sabha? Is it not a fact, also, that the act of the Government of Madras in passing a resolution to the effect that this three-language formula shall be scrapped, Tamil and English alone shall be taught and Hindi shall be eliminated altogether from the curriculum in all the schools in Tamilnad is within the limits prescribed in the Constitution under article 246 which says that the State has exclusive power to make laws with respect to any matter enumerated in the State List and "Education including universities" is within the State List ?. The hon. Prime Minister and other leaders have already stated that they are going to consider the whole language issue and also the resolution by calling a round table conference. Under these circumstances, may I know from the hon. Minister of Education what wrong the Government of Madras has done when it acts within the framework of the Constitution?

श्री रवि राय (पुरी) : पिछले कई सालों से दक्षिण भारत की हिन्दी प्रचार सभा हजारों की तायदाद में वहां के लोगों को हिन्दी सिखा रही है। तमिलनाड के लोगों को भी हिन्दी सिखाई गई है। वहां पर हिन्दी सिखाने वाले जो पदाधिकारी हैं श्री सत्य नारायण उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि हम भले ही पिछले बीस साल से हिन्दी सिखाने का काम कर रहे हैं लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है।

मैं समझता हूं कि तमिलनाड की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी चीज की है। उसने विधान सभा में पास कर दिया है कि वहां तमिल को फौरन लागू कर दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री इसको अच्छा मानते हैं कि तमिलनाड की सरकार हिन्दुस्तानी भाषाओं को ऐच्छिक भाषायें न माने लेकिन अंग्रेजी को एक आवश्यक विषय बना दे? क्या उसके बदले यह अच्छी चीज नहीं होगी कि हिन्दुस्तानी भाषाओं को ऐच्छिक भाषायें बनाया जाए? उसने जो अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया है इसको मैं गलत समझता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि विधान सभा में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके बाद क्या शिक्षा मंत्री जी ने अन्नदुराय साहब से बातचीत की है? मैं मानता हूं कि यह सब चीज जैसा कि कृष्णमूर्ति साहब ने कहा है, भाषा बिल के चलते हुए हुई है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री तमिलनाड सरकार को कहेंगे कि वह तमिल को आवश्यक विषय बना दे और विश्वविद्यालयों और कोर्ट कचहरी में इसको माध्यम बना दे लेकिन अंग्रेजी के बदले कोई एक दूसरी हिन्दुस्तानी भाषा को वहां चलाये तो ज्यादा अच्छा होगा?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I must point out one thing to those hon. Members who have written to me, for instance, Shri Kandappan and Shri Deorao Patil. The notices were not received in time. Every time if I were to by-pass the notice and contravene rule 53(5), it would be difficult.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : I gave notice during the question hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I know. There is a well laid down rule which we have to follow. If I permit one to ask question without notice, I will have to permit others also. For instance, if I allow Shri Nambiar to ask a question, he will take at least two or three minutes. So, I would inform those hon. Members who have given late notice that this is the last time I am permitting them to ask questions because the question raised is very important and is a very sensitive issue. Henceforward they will not get such an opportunity.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : May I know whether it is not a fact that all the fourteen languages are to be treated equally and that a special consideration is shown to Hindi and thereby putting the other 13 languages as secondary languages, which has caused the stir and that because of the passing of the Amended Resolution in Parliament, which we all opposed and deplored, the people of non-Hindi areas have become

more suspicious and whether the Government are considering seriously to review the situation and, if necessary, to abrogate or rather negate the Resolution which was passed in Parliament and thereby create a sense of security in the people of the non-Hindi area so that they may consider that they also will have equal opportunity to develop their own language and in the long run, if all will agree, we will voluntarily agree to evolve a common language ?

SHRI S. KANDAPPAN : The answer that was given in the middle of February.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : That has been corrected. He start with the correction.

SHRI S. KANDAPPAN : After a month the hon. Minister of Education has thought it fit to correct it, which shows the callous attitude of the Centre to the burning problem which is creating a lot of misapprehension and a lot of complications, particularly in the southern part of the country. I would like to know whether the Government would take into consideration the serious developments that have taken place, particularly in Tamilnad, after the passing of the Amended Resolution on the floor of the House and whether they would come forward with necessary measures to satisfy the genuine aspirations of the student community in Tamilnad.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मद्रास राज्य ने नई नीति अपनाई है । उसके अनुसार उसने एक आदेश निकाला है कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनको हिन्दी न पढ़ाई जाए । इस आदेश को उसने चालू शिक्षा सत्र में निकाला है । इस कारण से वहां जो हिन्दी के शिक्षक थे वे भी काफी बेकार हो गए हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि उन बच्चों के बारे में जो हिन्दी पढ़ रहे हैं और उन शिक्षकों के बारे में जो हिन्दी पढ़ा रहे थे, क्या राज्य सरकार से आपने पूछताछ की है । और उनको सुविधाएं देने का कोई प्रयत्न किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो क्या प्रयत्न किया जाएगा ?

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool) : Before 1953 there was absolutely no controversy in the country. This controversy has increased only after the formation of linguistic States. Will the Government consider whether it is possible to scrap up the linguistic State formula ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : जिन लोगों ने हिन्दी का विरोध को एक राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है, उन से मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं दक्षिण भारत के और अहिन्दी भाषी राज्यों के उन भाइयों भावनाओं से सर्वांश में सहमत हूं कि नौकरियों में आने के लिए उनपर कोई असमान बोझ नहीं पड़ना चाहिए । मैं मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो उससे देश की राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ेगा । इसी आधार पर राज भाषा संशोधन विधेयक जब पारित हो रहा था उस समय गृह मन्त्री श्री चव्हाण ने जब यह कहा कि हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों को कोई एक अहिन्दी भाषी राज्यों की भाषा सीखनी होगी तो हमने उसका स्वागत किया था ।

मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पांच हजार हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापक वहां बेकार हुए हैं इस मद्रास राज्य विधान सभा के प्रस्ताव के पारित होनेके बाद उनके और उनके परिवार के भविष्य के सम्बन्ध में आपने क्या कोई निर्णय किया है ?

इस बात में कहां तक सच्चाई है कि भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेजी-समर्थक विदेशों का करोड़ों रुपया इस देश में लग रहा है ? क्या सरकार ने उस के बारे में जानकारी ली है; यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am allowing only those who have given their names even at the late stage. It is very difficult to accommodate others. I cannot allow everybody.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : May I know after the three-language formula which was enunciated for all

[Shri Sezhiyan]

the States in India was followed and implemented in Hindi States in contrast with the hon-Hindi States ? May I also know whether the hon. Minister is aware that, after passing the Resolution in the Madras Assembly, the Chief Minister and the Education Minister have categorically stated that no Hindi teacher will be rendered jobless, that no one will be thrown out of employment and that all will be absorbed in the existing educational institutions ?

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Will the hon. Minister please clarify whether it is not a fact that the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha does not belong only to Madras State but it belongs also to Kerala, Andhra Pradesh and Mysore and, in view of this, and also in view of the grant received from the Centre for the benefit of all the four States, will he consider the feasibility of shifting it to Hyderabad, Andhra Pradesh, which is a more suitable place ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : Mr. Deputy-Speaker Sir, several of the hon. Members have taken part in this discussion. I have pointed out the recent decision of the Madras Government to remove the teaching of Hindi at the school stage and to sorap the three-language formula. But these are not isolated educational decisions. These are corollaries to the stand taken by the Madras Government on the basic question of the official language.

The Madras Assembly Resolution urges that the Union Government should forthwith susped the operation of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 as well as the Resolution on the language policy as this would impose an additional language burden on the people in the non-Hindi States. I might recall, as mentioned, by Shastriji also, that Shri Y. B. Chavan, the Home Minister, while replying to the debate in the Rajya Sabha, on the Resolution, had held out an assurance that this inequality of burden owuld be reduced by full implementation of the three-language formula.

SHRI SEZHIYAN : One more assurance.

DR. TRIGUNA SEN : Some other proposals for removing the grievance about inequality of burden are also being considered by the Home Ministry and the Government as a whole. But, unfortunately, this question of language continues to excit too much passions and emotion and is proving a hindrance in evolvig a consensus on the whole subject.

Sir, the Prime Minister, in her reply to the debate on the President's Address, in Lok Sabha, on the 23rd February pointed out that in the present climate, the less we talk about the language problems, the better for the tempers to come down. Once the tempers have come down and a favourable climate created, we will all be in a better position to sit together and discuss the problem and try to find a solution which will strengthen the unity of the country and facilitate communication between the people of this country at all levels, and in all walks of life. Now, in so far as the question of the three-language formula is concerned, I wish to take this opportunity to point out that education, as rightly said by my hon. friend, Shri Nambiar, is a State subject, the implementation of this formula in different States has not resulted from any direction of the Central Government. It emanated from the consensus reached amongst others between the Chief Ministers of different States.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : Inculding Mardras.

DR. TRIGUNA SEN : The Central Government believes that this formula and its effective implementation at schools will offer a satisfactory solution to the language problem. I have no doubt that, one a national solution to the language problem has been found, the language policy in the schools of that State, I mean the Madras State, will have no difficulty in adjusting itself suitably. I would have been happier if the Madras Government dad not decad-

ed to do away with the 3-language formula, when the Resolution of the Madras Assembly itself clearly seeks.

> "To request the Union Government to convene a high level conference of leaders of all political parties to re-examine the language problem and devise a method to remove the hardship caused by the language Resolution passed along with the Official Languages (Amendment) Act, 1967."

Perhaps, after making this appeal, they could have waited before taking this step..... (*Interruptions*) Since the 3-language formula had already been in operation in the Madras State, to my mind, it would have been better to let it continue to operate till the recommendations of the high level conference envisaged in the Resolution of the Madras Assembly itself became available. However, I am an optimist and I strongly believe that, once a satisfactory solution to the problem has been found, the language policy of the Madras Government will also have no serious difficulty in readjusting itself accordingly.

The question raised by the hon. members regarding the future of a large number of Hindi teachers in Madras State is, of course, a serious human problem. I think, it will be a bad day for any State Government to dispense with the services of a large number of its loyal teachers in pursuance of, what can only be called, a snap decision. But here also..... (*Interruptions*)

SHRI S. KANDAPPAN : On a point of order.

His statement will only complicate the situation in the Madras State. I would like to know from the hon. Minister whether he has got any information that, after the passing of the Resolution, any Hindi teacher has been retrenched. If there is no intemation to that effect, he should not make that statement.

DR. TRIGUNA SEN : The hon. member should have some patience. He should allowe me to finish my sentence .....

SHRI S. KANDAPPAN : This is a very serious statement to make. There has been no retrenchment whatsoever.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. Does the Minister not recognise the seriousness of the problem ?

SHRI S. KANDAPPAN : I think, he does not.

DR. TRIGUNA SEN : Please allow me to finish what I want to say. The hon. Member does not listen to me, but only goes on asking questions and raising points of order.

Here also, I think, the picture is not so bad. Although we have no exact information from the State Government on this matter, I wish to read out to you from the Education Department order dated the 24th January, 1968. This order clearly provides :

> "The Government desires to make it clear in this connection that every effort will be made to absorb the existing Hindi teachers in suitable posts for which they are found qualified."

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वे तो और किसी विषय में क्वालिफाइड ही नहीं हैं; उन को कहां एबजार्ब करेंगे ?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Let them bother themselves about the teachers in their own area. Let them not bother about the teachers in our area; we will take care of them.

SHRI S. KANDAPPAN : They have rather been paid without any work. Not a single teacher has been retrenched.

DR. TRIGUNA SEN : I have no doubt that, in keeping with the spirit of this order of the State Government, they will view the whole question with utmost sympathy and take every possible step to remove any hardship likely to be caused to the Hindi teachers of

[Dr. Triguna Sen]

the State on account of the implementation of the State policy. I may say here that the Madras Education Minister, Shri Nedunchezhiyan, is personally known to me; I have high regard for his understanding and sympathetic approach to problems affecting teachers and I have no doubt in my mind that the interests of these teachers are safe in his hands.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to meet against at 11 A.M. tomorrow.

19 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 12, 1889 (Saka).